



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1009]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940

No. 1009]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

**आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

**का.आ. 1143(अ).**— राष्ट्रपति ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 11), 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किया है, जो उक्त तारीख को प्रवृत्त हुआ है;

और धारा 3क की उप धारा (2) (उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय परिषद का परिषद के अधिकांत होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्गठन करने की अपेक्षा करती है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3क की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 1988(अ) तारीख 18 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, पैरा सं. 3 में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "18 मई, 2018 से दो वर्ष" रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर.14011/2/2019-ईपी-II]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक क. आ. 1988(अ) तारीख 18 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2019

**S.O. 1143(E).**—Whereas the President promulgated the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (11 of 2019), on 2nd March, 2019, which came into force on the said date;

And Whereas, sub-section (2) of section 3A (as amended by the said Ordinance) requires the Central Council to be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) within a period of two years from the date of supersession of the Council;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India published in Gazette of India, vide number S.O. 1988 (E), dated the 18th May, 2018, namely:-

In the said notification, in paragraph number 3, for the words “one year”, the words, figures and letters, “two years from the 18th May, 2018” shall be substituted.

[F. No. R-14011/2/2019-EP-II]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

**Note:** The principal Notification was published in Gazette of India, vide number S.O. 1988 (E), dated the 18<sup>th</sup> May, 2018.